न्यायालयः— तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012)
हरदा (म0प्र0)

(समक्ष :— कु0 सविता जड़िया)

Registration No. SC/01/2019
Filing No. SC/53/2019
CNR No - MP 47010000832019
Filing Date 08-01-2019

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना प्रभारी,
आरक्षी केन्द्र, रहटगांव, जिला हरदा (म0प्र0)
.....**अभियोजन**

विरूद्ध

01 ब्रजेश उर्फ बिरजू उईके, उम्र लगभग 20 साल,
पिता चम्पालाल उईके,
निवासी ग्राम सिरकंबा,
थाना रहटगांव, जिला हरदा (म0प्र0)

02. मोन्टया उर्फ रामकृष्णा, उम्र लगभग 24 साल,
पिता जगदीश निकुम्ब,
निवासी ग्राम सिरकंबा,
थाना रहटगांव, जिला हरदा (म0प्र0)

.....**अभियुक्तगण**

———————————————————————————————

पुलिस थाना रहटगांव तहसील रहटगांव जिला हरदा म0प्र0 के अपराध क्रमांक—268/18 अपराध अंतर्गत धारा—363, 366, 376(2)(एन), 376 (जी) भा0दं0सं0 एवं 3/4, 5/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 से उद्भूत विशेष प्रकरण।

———————————————————————————————

—:: आदेश ::—

(अंतर्गत धारा 232 दं.प्र.सं.)

(आज दिनांक 10 अप्रैल, 2019 को पारित किया गया)

01. अभियुक्त ब्रजेश पिता चंपालाल के विरूद्ध धारा—363,

366, 376(2)(एन), 376(2)(घ) भा0द0वि0 एवं 3/4, 5/6 पॉक्सो एक्ट एवं अभियुक्त मोन्टया उर्फ रामकृष्ण पिता जगदीश के विरूद्ध धारा–363, 376(2)(घ) भा0द0वि0 एवं 3/4, 5/6 पॉक्सो एक्ट का आरोप है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 26.11.18 को 10.00 से 10.30 बजे तक मंगलीबाई के घर ग्राम झल्लार थाना रहटगांव में अवयस्क अभियोक्त्री का उसके विधिक संरक्षक माता–पिता की संरक्षकता से हटाकर व्यपहृत किया तथा अभियुक्त ब्रजेश ने इस आशय से व्यपहृत किया कि अभियोक्त्री विवाह के लिये एवं अयुक्त संभोग के लिये बाध्य एवं विलुब्ध की जायेगी तथा दोनों अभियुक्तगण ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग करने का सामान्य आशय निर्मित कर अभियुक्त ब्रजेश ने अभियोक्त्री के साथ उसकी मर्जी के बिना एक से अधिक बार बलात्संग किया तथा दोनों अभियुक्तगण ने अभियोक्त्री के साथ बारी–बारी से उसकी इच्छा के बिना उसके साथ बलात्संग किया तथा अवयस्क बालिका की योनि में अपना लिंग प्रवेश कराकर प्रवेशन लैंगिक हमला किया तथा अवयस्क बालिका के साथ संभोग कर प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया।

02. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.12.18 को अभियोक्त्री के पिता महेश के द्वारा थाना रहटगांव में इस आशय की सूचना दर्ज कराई गई थी कि वह मजदूरी करता है, उसकी पुत्री अभियोक्त्री 15 साल आठवीं तक पढ़ीलिखी है। अपनी नानी मंगलीबाई के घर झल्लार में एक माह पहले रहने गई थी। वह परिवार सहित दिनांक 26.11.18 दिन सोमवार को झल्लार गया था। वह और उसकी पत्नी ग्राम झल्लार में ही रिश्तेदारी में ज्ञानसिंह के यहां बैठने चले गये थे तो उसकी सास मंगलीबाई ने सुबह 10 बजे आकर बताया कि लड़की अभियोक्त्री कहीं दिख नहीं रही है। उसने परिवार सहित लड़की की तलाश की नहीं मिली, उसे शंका है कि ग्राम सिरकम्बा का बिरजू नाम का लड़का उसकी लड़की को भगाकर बहला फुसलाकर ले गया है।

03. फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना रहटगांव द्वारा अपराध क्रमांक 268/18 पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई। दिनांक 04.12.18 को 12.20 बजे अभियोक्त्री को तीन इमली चौराहा इंदौर से दस्तयाब किया गया, जो प्र0पी0 1 है तथा उसी दिनांक को

अभियोक्त्री को उसके पिता महेश को सुपुदगी पर प्रदान किया गया जो प्र0पी0 2 है। अभियोक्त्री के कथन लिये गये। अभियोक्त्री एवं अभियुक्तगण का मेडिकल परीक्षण कराया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0 7 तैयार किया गया, साक्षीगण के कथन लिये गए, अभियोक्त्री के दं0प्र0सं0 की धारा 164 के अंतर्गत कथन सक्षम मजिस्ट्रेट न्यायालय में करवाये गए। अभियोक्त्री की उम्र के संबंध में शालेय अभिलेख संकलित किया गया। अभियुक्त मोन्टया उर्फ रामकृष्णा से एक चाकू जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया। अभियोक्त्री के वैजाइनल स्लाईड एवं अभियुक्त ब्रजेश के सीमन स्लाईड, प्यूबिक हेअर, अंडरवियर एवं अभियुक्त मोन्टया के सीमन स्लाईड, प्यूबिक हेअर, अंडरवियर को जप्त किया गया तथा एफ0एस0एल0 जांच करवाई गई। विवेचनात्मक कार्यवाहियों की पूर्णता के उपरांत न्यायालय में, अभियोग पत्र भा0द0वि0 की धारा–363, 366, 376(2)(एन), 376 (जी) भा0दं0सं0 एवं 3/4, 5/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012
के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया।

04. कंडिका क्रमांक 1 के अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप निर्मित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर झूठा फंसाया गया होना व्यक्त कर विचारण चाहा, उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

05. अभियोजन साक्ष्य एवं प्र0पी0 1 लगायत प्र0पी0 9 तक के दस्तावेज प्रदर्शांकित कराये गये है। आरोपीगण का धारा 313 दं.प्र. सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया, जिसमें आरोपीगण ने अपने आपको निर्दोष होना बताते हुये झूठा फंसाये जाना व्यक्त किया है। अभियुक्तगण की ओर से बचाव में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये है।

06. इस विशेष सत्र विचारण में मेरे समक्ष निर्णायक प्रश्न निम्नानुसार हैं :–

(i) क्या अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी प्रकार की दोषसिद्धि संभावित है ?

(ii) यदि हॉ, तो प्रभाव।

—: सकारण निष्कर्ष :—

निर्णायक प्रश्न कमांक (i) एवं (ii) का निराकरण

07. अभियोक्त्री (अ0सा0 1) ने बताया है कि वह आरोपी ब्रजेश को नहीं जानती है। वह अपनी नानी के पास ग्राम झल्लार में रहती है। उसके मम्मी—पापा सिरकम्बा में रहते है। आरोपी बीरजू सिरकम्बा गांव का है। वह इंदौर में मजदूरी करने गई थी, वहीं पर ब्रजेश नाम का लड़का काम करता था, जिससे उसकी आपस में कहासुनी हो गई थी। वह घर से बिना बताये गई थी, इसलिये उसके माता—पिता ने उसके गुम होने की रिपोर्ट लिखा दी थी। पुलिस उसे दस्तयाब कर इंदौर से लाई थी। दस्तयाबी पंचनामा प्र0पी0 1 पर उसके हस्ताक्षर है। दस्तयाबी के बाद उसे उसके पिता महेश के सुपुर्द किया था। सुपुर्दगी पंचनामा प्र0पी0 2 है। घटना के समय उसकी उम्र 20 साल रही होगी। पुलिस ने उसका मेडिकल कराया था। अभियोक्त्री को पक्ष विरोधी घोषित करने पर उसने अभियोजन के सभी सुझावों से इंकार किया है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ बुरा काम किया था, जान से मारने की धमकी दी थी। उसका कहना है कि ब्रजेश नाम का लड़के के साथ इंदौर में मजदूरी करती थी, मजदूरी पर से उसका झगड़ा हुआ था। प्रतिपरीक्षण करने पर अभियोक्त्री ने अभियुक्त मोन्टया उर्फ रामकृष्णा को पहचानने से इंकार किया है। उसका कहना है कि उसके सामने आने पर भी नहीं पहचान सकती।

08. अभियोक्त्री की मां रामवती (अ0सा0 2) का कहना है कि अभियोक्त्री बिना बताये दो—तीन माह पहले कहीं चली गई थी, जिसके कारण उसने उसके गुम होने की रिपोर्ट लिखा दी थी, जो प्र0पी0 5 है, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। उसकी सूचना पर पुलिस ने प्र0पी0 6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जिस पर

भी उसका अंगूठा लगा हुआ है। पुलिस ने लड़की को इंदौर से दस्तयाब किया था। दस्तयाबी प्र0पी0 1 पर भी उसका निशानी अंगूठा है। दस्तयाब करने के बाद उसे उसके सुपुर्द किया था, सुपुर्दगी प्र0पी0 2 पर भी उसकी अंगूठा निशानी है। उसकी लड़की ने उसे कोई जानकारी नहीं दी थी। स्वतः कहा कि उसने बताया था कि मजदूरी करने इंदौर आ गई थी। इस साक्षी को भी विरोधी घोषित करने पर उसने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसकी लड़की अभियोक्त्री ने बताया था कि अभियुक्त ब्रजेश एवं मोंटया चाकू दिखाकर उसे जंगल तरफ ले गये और इंदौर में कमरे में रखकर दोनों अभियुक्तगण ने उसके साथ बलात्संग किया। प्रतिपरीक्षण में उसका कहना है कि पुलिस ने जहां–जहां अंगूठा लगाने के लिये कहा था, वहां लगा दिया था और पुलिस ने रिपोर्ट और पंचनामा पढ़कर नहीं सुनाया था।

09. अभियोक्त्री के पिता महेश (अ0सा0 3) ने बताया है कि अभियोक्त्री दो–तीन महीने पहले कहीं चली गई, जिससे उसके गुमशुदा की रिपोर्ट लिखा दी थी। इस साक्षी को भी पक्ष विरोधी करने पर इस साक्षी ने अभियोजन द्वारा दिये गये सभी सुझावों से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण करने पर उसका कहना है कि पुलिस के कहने पर जहां–जहां अंगूठा लगाने को कहा गया था, वहां लगाया था। पुलिस ने पंचनामे और रिपोर्ट पढ़कर नहीं सुनाई थी।

10. हस्तगत प्रकरण अवयस्क अभियोक्त्री को उसके विधिक संरक्षक माता–पिता की संरक्षकता से हटाकर व्यपहरण करने तथा सह अभियुक्त के साथ बलात्संग करने एवं अवयस्क बालिका के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला किये जाने से संबंधित है। प्रकरण में अभियोक्त्री और उसके माता–पिता ही महत्वपूर्ण साक्षी है, किंतु अभियोक्त्री और उसके माता–पिता दोनों विरोधी हो गये हैं। यहां तक कि अभियोक्त्री ने अभियुक्तगण को पहचानने से इंकार किया है। उसकी मां रामवती का कहना है कि उसे उसकी लड़की ने कोई जानकारी नहीं दी थी। उसने इतना बताया था कि वह मजदूरी करने इंदौर गई थी। अभियोक्त्री के पिता का भी यही कहना है कि उसकी लड़की ने उसे कोई जानकारी नहीं दी थी, उसे इतना बताया था कि वह मजदूरी करने इंदौर आ गई थी। अभियोक्त्री के माता–पिता का कहना है कि

पुलिस ने जहां–जहां कहा था, वहां–वहां अंगूठा लगा दिया था। ऐसी स्थिति में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, वह अभियुक्तगण को अपराध में संलिप्त किये जाने के लिये पर्याप्त न होने से अभियुक्तगण को धारा–363, 366, 376 (2)(घ), 376 (2)(एन) भा0द0वि0 एवं 3/4, 5/6 पॉक्सो एक्ट के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

11. धारा–437(क) दं0प्र0सं0 के प्रयोजनार्थ अभियुक्तगण के पूर्व के जमानत मुचलके आदेश दिनांक से 06 माह के लिए विस्तारित किए जाते है तत्पश्चात् अपील नहीं होने की दशा में उक्त जमानत मुचलके निरस्त समझे जावे।

12. प्रकरण में जप्तशुदा एक चाकू, अभियोक्त्री के वैजाइनल स्लाईड एवं अभियुक्त ब्रजेश के सीमन स्लाईड, प्यूबिक हेअर, अंडरवियर एवं अभियुक्त मोन्टया के सीमन स्लाईड, प्यूबिक हेअर, अंडरवियर को अपील अवधि उपरांत नष्ट किया जावे। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययनित किया जावे।

13. धारा–428 दं0प्र0सं0 के प्रयोजनार्थ अभियुक्त ब्रजेश दिनांक–05.12.18 से आज दिनांक–10.04.19 तक एवं अभियुक्त मोन्टया दिनांक–05.12.18 से आज दिनांक–10.04.19 तक निरूद्ध रहे हैं, समायोजन के संबंध में पृथक से प्रमाणपत्र तैयार कर प्रकरण के साथ संलग्न किया जावे।

14. अभियुक्तगण के वारंट पर लाल स्याही से टीप लगाई जावे कि यदि अभियुक्तगण की अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उन्हें तत्काल रिहा किया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर पारित किया गया।

सही/–
(कु0 सविता जड़िया)
तृतीय अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश,
('पॉक्सो एक्ट', 2012) हरदा

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

सही/–
(कु0 सविता जड़िया)
तृतीय अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश,
('पॉक्सो एक्ट', 2012) हरदा

Digitally signed by SAVITA JADIYA
DN: c=IN, o=MADHYA PRADESH DISTRICT COURT HARDA, postalCode=464001, st=Madhya Pradesh, 2.5.4.20=4b8b129ed2ed06ed1f2c5fa2022139aefbd2a727e33707d41923de19fede2a8a, 2.5.4.45=03210093083E2A697A607BBCB0C90D35D35180334096578DEAB3ACF6B93B82D7423142, cn=SAVITA JADIYA
Date: 2019.04.11 18:48:27 -07'00'

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधि